Title: Need to take stringent measures to check irregularities in financial institutions in the country

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, 25 व्यापारिक बैंकों ने गत 6 वर्षों में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर ऋण दिए हैं। आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.एफ.सी. ने लगभग 2300 करोड़ रुपये के ऋण उन कंपनियों को दे दिए हैं जो वास्तविक सही नहीं हैं। 2000-2001 वित्तीय वर्ा में 200 कंपनियों ने डिवेन्चर व बॉन्ड के माध्यम से 1,100 करोड़ रुपये आई.डी.बी.आई, एन.सी.डी., आई.सी.आई.सी.आई., आई.आई.बी.आई. से ऋण लिया जो बाद में नॉन परफोर्मिंग असेट हो गया है। कैपिटल बाजार से 229 कंपनियों ने रुपया एकत्रित किया और आज गायब हो चुकी हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया में हुई आर्थिक हानि की पूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इसी प्रकार बैड लोन के कारण बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने से उन्हें 2,550 करोड़ रुपया दिया जा रहा है जिससे ये बैंक अपनी साख तो बनाए रखें।

गत् वर्षों में बार-बार सरकार द्वारा आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई थी पर उसका परिणाम अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि निगरानी व्यवस्था में और सतर्कता और सजगता की जरूरत तो है ही, इन वित्ती संस्थानों के कार्य करने के तरीके में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की भी जरूरत है। सरकार इस दिशा में अविलम्ब कार्यवाही करे।